संख्या- 50/1232/बयालिस- 2015-19(बजट)/2013

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 22 मई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर एवं गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ को 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-84/बजट/2015-16, दिनांक 30-04-2015 एवं सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के पत्र संख्या- 110/सोसा0/अनुदान /2015, दिनांक 15-05-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 22 के लेखा शीर्षक-2204 में बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज,गोरखपुर हेतु 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 296.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 148.00 लाख (एक करोड अडतालिस लाख मात्र) तथा 31-सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 75.00 लाख (पिचहत्तर लाख मात्र) एवं गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ हेतु 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 413.50 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 206.75 लाख (दो करोड छः लाख पिचहत्तर हजार मात्र) तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 325.00 लाख (तीन करोड पच्चीस लाख मात्र) कुल रू0 754.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015 बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30-03-2015 में दिये गये निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यो/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पूर्व वर्षो की देनदारियों पर नहीं किया जायेगा ।

&2

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल निदेशक, खेल द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करके धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी तथा सचिव उ0प्र0 स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी लखनऊ के माध्यम से व्यय हेतु प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर एवं गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

(5) स्वीकृत धनराशि के व्यय करने में शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार आहरित किया जायेगा। स्वीकृत अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 में दिये गये अद्यवाधिक नियम भी लागू होगें । इस अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बी0एम0-13 प्रपत्र पर शासन एवं महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-आयोजनेत्तर-104-खेलकूद-23-स्पोर्टस कालेज को अनुदान-2301-स्पोर्टस कालेज गोरखपुर को अनुदान-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) तथा 2302-स्पोर्टस कालेज, लखनऊ को अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015 बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30-03-2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है ।

भवदीय,

भुवनेश कुमार
सचिव ।

संख्या- 501232(1)/बयालिस-2015-तदिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर ।
4- प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ।
5- सचिव, उ0प्र0 स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in